न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्री गासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:— 52/2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. भगाराम पुत्र बींजाराम 2. नेमाराम पुत्र बींजाराम जातिगण सीरवी निवासी बासना तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री महेन्द्र चौधरी, श्रीमती नीलम सोनी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

दिनांक – 01/07/24

—: **निर्णय** :—

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बासना, प0ह0 बासना तह0 सोजत में प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 1114, 1119, 1163, 1170, 1169 कुल खसरा 05 कुल रकबा 6.1600 है0 की आयी हुई स्थित हैं। उक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि के खातेदार गोपाराम, बींजाराम पिसरान चोलाराम के 2/3 हक हिस्सा खातेदारी दर्ज सुदा स्थित है, जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी 2067 से 2070 से भली भांति साबित है। बींजाराम पुत्र चौलाराम प्रार्थीगण के पिता है, जिनका स्वर्गवास दिनांक 06/08/2014 को हो चुका है, उनके स्वर्गवास के बाद बींजाराम की पत्नी धापु बाई एवम् पुत्रीयों केलकी, माडकी तथा समकी बाई के द्वारा अपने विरासती प्राप्त हक हिस्से का हकत्याग दिनांक 18/09/2014 को जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित कर दिया था। उक्त हकत्याग करने के बाद नामान्तरण संख्या 1051 दिनांक 20/11/2014 को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 में नामान्तरकरण बींजाराम पुत्र चौलाराम के स्थान पर प्रार्थीगण भगाराम व पेमाराम पिसरान बींजाराम के नाम से जमाबन्दी में इन्द्राज किया गया, जो सही किया गया। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 के बाद अगला चौसाला जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 दर्ज करते समय पूनः पूर्व की भांति गोपाराम, बींजाराम पुत्र चौलाराम दर्ज कर दिया गया, जो सहवन से एवम् भुलवश तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा दर्ज कर दिया गया, जो पुनः गलत दर्ज हुआ, जवकि जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 की जमाबन्दी में भगाराम, नेमाराम पिसरान बींजाराम के नाम से दर्ज किया जाना चाहिये था, जो दर्ज नहीं हुआ है। वादग्रस्त आराजीयात की कृषि भूमि की जमावन्दी सम्वत् 2075 से 2078 दर्ज करते समय पटवारी हल्का के द्वारा बींजाराम पुत्र चौलाराम 1/9 हिस्सा, भगाराम पुत्र चौलाराम 1/9 हिस्सा, नेमाराम पुत्र चौलाराम 1/9 हिस्सा दर्ज कर दिया गया, जो गलती से एवम् त्रुटीवश पूर्व की जमाबन्दी का अवलोकन किये बिना चौसाला जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 बनाई गई है, जिसमें गलत इन्द्राज हुआ है। बीजाराम पुत्र चौलाराम 1/9 हिस्सा पुनः दर्ज कर दिया गया, जो गलत दर्ज हुआ है, जिन्हें राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी से हटाया जाना कानूनन आवश्यक है तथा जमाबन्दी में

उपखण्ड अधिकारी,

प्रार्थीगण का दर्ज नाम भगाराम पुत्र चौलाराम 1/9 हिस्सा, नेमाराम पुत्र चौलाराम 1/9 हिस्से के स्थान पर भगाराम पुत्र बींजाराम 1/6 हिस्सा व नेमाराम पुत्र बींजाराम 1/6 हिस्सा अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर संशोधन किया जाना कानूनन आवश्यक एवम् न्याय संगत है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर सरहद ग्राम बासना के खसरा संख्या 1114, 1119, 1163, 1169 व 1170 कुल खसरा 05 कुल रकबा 6.1600 हैक्टर की जमाबन्दी में इन्द्राज बींजाराम पुत्र चौलाराम का 1/9 हिस्से को हटाया जावे एवम् भगाराम पुत्र चौलाराम 1/9 हिस्सा के स्थान पर भगाराम पुत्र बींजाराम का 1/6 हिस्सा व नेमाराम पुत्र चौलाराम का 1/9 हिस्से के स्थान पर नेमाराम पुत्र बींजाराम 1/6 हिस्सा दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्त करने के आदेश फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सरहद ग्राम बासना के खसरा संख्या 1114, 1119, 1163, 1169 व 1170 कुल खसरा 05 कुल रकबा 6.1600 हैक्टर की जमाबन्दी में इन्द्राज बींजाराम पुत्र चौलाराम का 1/9 हिस्से को हटाया जावे एवम् भगाराम पुत्र चौलाराम 1/9 हिस्सा के स्थान पर भगाराम पुत्र बींजाराम का 1/6 हिस्सा व नेमाराम पुत्र चौलाराम का 1/9 हिस्से के स्थान पर नेमाराम पुत्र बींजाराम 1/6 हिस्सा दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्त करने के आदेश फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2063–67 में गोपाराम, बींजाराम पि0 चोलाराम हि0 2/3 दर्ज सुदा हैं। जमाबंदी सम्वत् 2067–70 में गोपाराम, बींजाराम पि0 चोलाराम हि0 2/3 दर्ज सुदा हैं तथा टिप्पणी में नामा0 सं0 1051 दिनांक 20.11.2014 हकत्याग से बींजाराम फौत के स्थान पर भगाराम, नेमाराम पि0 बींजाराम दर्ज किया, शेष बदस्तुर अंकित हैं। जमाबंदी सम्वत् 2071–74 में गोपाराम, बींजाराम पुत्र चोलाराम हि0 2/3 दर्ज किया गया, जबकि नामा0 सं0 1051 के अनुसार इन्द्राज किया जाना था। जमाबंदी सम्वत् 2075–78 में नेमाराम पुत्र चोलाराम हि0 1/9, भगाराम पुत्र चोलाराम हि0 1/9, बींजाराम पुत्र चोलाराम हि0 1/9 दर्ज किया गया, जबकि बींजाराम पुत्र चोलाराम हि0 1/3 के अनुसार उनके स्थान पर प्रार्थीगण का 1/6–1/6 हिस्सा तथा वल्दियत बींजाराम दर्ज किया जाना चाहिए था। तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट में भी प्रार्थी भगाराम व नेमाराम की वल्दियत बींजाराम होना मानी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की वल्दियत बींजाराम तथा प्रत्येक का हिस्सा 1/6–1/6 होने की संपुष्टि होती हैं।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज बींजाराम पुत्र चोलाराम हि0 1/9 हिस्से को हटाया जाना एवम् भगाराम पुत्र चोलाराम 1/9 हिस्सा के स्थान पर भगाराम पुत्र बींजाराम का 1/6 हिस्सा व नेमाराम पुत्र चोलाराम का 1/9 हिस्से के स्थान पर नेमाराम पुत्र बींजाराम 1/6 हिस्सा दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा बासना, प0ह0 बासना तह0 सोजत में प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 1114, 1119, 1163, 1170, 1169 कुल खसरा 05 कुल रकबा 6.1600 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज बींजाराम पुत्र चोलाराम हि0 1/9 हिस्से को हटाया जाने एवम् भगाराम पुत्र चोलाराम 1/9 हिस्सा के स्थान पर भगाराम पुत्र बींजाराम का 1/6 हिस्सा व नेमाराम पुत्र चोलाराम का 1/9 हिस्से के स्थान पर नेमाराम पुत्र बींजाराम 1/6 हिस्सा को शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है, तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 01/07/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)